

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुझानुं (राज०)

मुकदमा

86/2019

किरम मुकदमा

धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक

27.09.19

निर्णय दिनांक

26.11.2019

उन्वान सरकार बनाम मालाराम पुत्र नारायराम जाति माली निवासी सिंधाना जिला झुझानुं (राज०)

— निर्णय —

प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० बुहाना की ओर से तहसीलदार बुहाना को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि स्टेट हाइवे 13 स्थान सिंधाना में स्टेट हाइवे 13 व एन०एच 11 मार्ग पर सा०नि०वि० की सीमा में अतिक्रमण मालाराम पुत्र नारायराम जाति माली निवासी सिंधाना ने 5-10 मी० की दूरी पर ठेले लगाकर (स्थाई रूप से) अतिक्रमण कर रखा है सहायक अभियन्ता ने भी यह अभिकथन किया है कि इन सभी ठेलों वालों का मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने को कहने के बाद भी आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अतिक्रमण के विरुद्ध एल०आर०एक्ट 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अगल में लाई जावे।

तहसीलदार बुहाना द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/1272 दिनांक 20.08.2019 को मूल प्रकरण नाराय तहसीलदार सिंधाना को अतिक्रमण के विरुद्ध एल०आर०एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु भिजवाया गया।

प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अतिक्रमण मालाराम पुत्र नारायराम जाति माली निवासी सिंधाना को राजस्थान गू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमण अनुपस्थित रहा।

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० बुहाना तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत विवादित अतिक्रमण की भूमि पर प्रनावहीन व सारहीन साबित होते हैं। अतः यह न्यायालय अतिक्रमण मालाराम पुत्र नारायराम जाति माली निवासी सिंधाना ने एन. एच. 11 एवं सिंधाना सर्किल पर 5-10 मी० की दूरी पर (स्थाई रूप से) ठेले का अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमण घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश दिए जाते हैं।

सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण का मौखिक रूप से बेदखल की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार रहे।

8

उप तहसीलदार सिंधाना